सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1940 (श०)

संख्या- 677 राँची, बुधवार 18 जुलाई, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

14 जून, 2018

कृपया पढ़ें:-

1. उपायुक्त, धनबाद का पत्रांक-1655/गो०, दिनांक 25 अगस्त, 2014 एवं पत्रांक-305/गो०, दिनांक 8 मार्च, 2017
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-10291, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014, पत्रांक-61 दिनांक 6 जनवरी, 2015 एवं संकल्प सं०-10029, दिनांक 20 सितम्बर, 2017
3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-363, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017

संख्या- 5/आरोप-1-560/2014 का.-4382-- श्री रतन कुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-474/03, गृह जिला-गया), तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद, सम्प्रति-सेवानिवृत्त के विरूद्ध उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-1655/गो०, दिनांक 25 अगस्त, 2014 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । प्रपत्र-'क' में श्री गुप्ता के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं- आरोप- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्र संख्या-76/आ०, दिनांक 4 नवम्बर, 2010 द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सुदृढ़ीकरण हेतु प्राप्त 20,000,00/- रूपये आवंटन में से

14,49,550/- रूपये व्यय होने के उपरान्त अवशेष बची राशि 5,50,455/- रूपये से दिनांक 6 नवम्बर, 2012 को उपायुक्त के समक्ष कार्यालय में (1) Tiles Flooring, (2) False Ceiling/Lighting, (3) Split A/C-6, (4) Novapen-vertical based partition (Cabin), (5) Colour wash & Painting, (6) Silent Generator की स्थापना कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया । तत्कालीन उपायुक्त द्वारा क्रमांक 1, 2 एवं 5 का प्राक्कलन भवन प्रमंडल, धनबाद से तैयार कराने तथा क्रमांक-3 में अंकित छः अद्द ए०सी० एवं क्रमांक-6 पर अंकित जेनरेटर के उपयोग के संबंध में पृच्छा की गयी, साथ ही क्रमांक-4 पर अंकित सामग्री के संबंध में विमर्श करने का आदेश दिया गया । इसके उपरान्त श्री परवेज अहमद खान के आवेदन के आलोक में तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री रतन कुमार गुप्ता के समक्ष संचिका उपस्थापित किया गया कि 6,38,434.00 (छः लाख अड़तीस हजार चार सौ) रूपये से संबंधित निविदा का निष्पादन अभी तक नहीं हुआ है । उनके द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2012 को विमर्श करने का आदेश दिया गया, परन्तु वगैर विमर्श किये दिनांक 10 जनवरी, 2012 को उक्त अनिष्पादित निविदा के आधार पर श्री परवेज अहमद खान को सौन्दर्यीकरण एवं पेयजल की व्यवस्था करने का आदेश प्रदान किया गया । इसके आलोक में तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री रतन कुमार गुप्ता ने ज्ञापांक-134, दिनांक 18 जनवरी, 2012 द्वारा श्री परवेज अहमद खान को कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसमें कार्य का उसकी प्राक्कलित राशि का अथवा इससे संबंधित किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं है । उक्त आदेश मेसर्स राजू कन्सट्रक्सन के निविदा को इस आधार पर अमान्य करार करते हुए दिया गया कि उनके निविदा पत्र के साथ अद्यतन आयकर रिटर्न संलग्न नहीं है, जबकि दिनांक 8 जून, 2011 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त, धनबाद की अध्यक्षता में निविदा खोलने के समय सम्पन्न हुई बैठक में श्री परवेज अहमद खान एवं राजू कन्सट्रक्सन की निविदा को अद्यतन पाए जाने का उल्लेख है तथा शेष तीन निविदाओं को अमान्य करार दिया गया था । इससे विदित होता है कि मनमानीपूर्वक तथा उपायुक्त द्वारा प्राक्कलन तैयार करने, ए०सी० एवं जेनरेटर के क्रय करने के औचित्य को दर्शाने हेतु दिये गये आदेश की अनदेखी कर श्री परवेज अहमद खान को कार्यादेश निर्गत किया गया । यह बिल्कुल वित्तिय नियमों का उल्लंघन तथा उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री रतन कुमार गुप्ता द्वारा निहितार्थभाव से लापरवाहीपूर्ण की गयी कार्रवाई है ।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि श्री परवेज अहमद खान को कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त तत्कालीन उप विकास आयुक्त श्री रतन कुमार गुप्ता द्वारा पत्र सं०-243, दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, धनबाद को ; (1) Tiles Flooring, (2) False Ceiling/Lighting, (3) Split A/C-6, (4) Novapen-vertical based partition (Cabin) के लिए प्राक्कलन तैयार करने का आदेश दिया गया । इस प्रकार कार्यादेश निर्गत करने के उपरान्त प्राक्कलन बनाने हेतु आदेश देने से श्री गुप्ता का कृत्य स्वतः निजी स्वार्थवश जल्दबाजी में किए गए कार्य को दर्शाता है । अभी तक कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, धनबाद से प्राक्कलन अप्राप्त है । इसी बीच कार्यपालक अभियंता, एन० आर० ई० पी०, धनबाद द्वारा तथाकथित रूप से श्री परवेज अहमद खान द्वारा कराये गये कार्य का मूल्यांकन 06,11,697.00 (छः लाख ग्यारह हजार छः सौ सनतानबे) रूपये अंकित किया गया, जिसके आधार पर 5,50,445.00 (पाँच लाख पचास हजार चार सौ पैंतालीस) रूपये का विपत्र आरोपित पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया । उनके

द्वारा पत्र सं०-415, दिनांक 1 मार्च, 2012 से इस मद की जिला परिषद्, धनबाद से अनुरोध किया गया, क्योंकि उक्त प्राप्त राशि जिला परिषद् के पी०एल० खाता में अवशेष राशि 5,50,445.00 रूपये अभिकरण कार्यालय को वापस करने हेतु सचिव, जिला परिषद्, धनबाद से अनुरोध किया गया, क्योंकि उक्त प्राप्त राशि जिला परिषद् के पी०एल० खाता में संचित था । जिला परिषद् के पी०एल० खाता से राशि की वापसी में हो रही कठिनाई के फलस्वरूप सचिव, जिला परिषद् के हैसियत से उक्त राशि का भुगतान श्री परवेज को आरोपित पदाधिकारी द्वारा जिला परिषद् कार्यालय से ही कर दिया गया ।

मापी पुस्तिका के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि उपर वर्णित मापी के अतिरिक्त दिनांक 20 जून, 2012 को Steno's Room, Director's Room, APO's Room, Executive Engineer NREP Room, DPO's Room, Varanda (Corridor) upto Stare में Renovation कार्य के लिए 42,254.00 (बियालिस हजार दौ सौ चैवन) रूपये की मापी कनीय अभियंता द्वारा दर्ज की गयी है, जिसे Executive Engineer NREP द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2012 को सत्यापित किया गया है । इसके उपरान्त उसी दिन उसी कार्य के लिए पुनः उल्लेख करते हुए पाँच बार 42,254.00 रूपये अर्थात 42,254 X 5 = 2,11,270.00 (दो लाख ग्यारह हजार दो सौ सतर) रूपये की मापी अंकित की गयी। दिनांक 4 अगस्त, 2012 को ही D.P.O. Chamber में Ceiling का कराये गये कार्य के लिए 49,542/- (उनचास हजार पाँच सौ बयालीस) रूपये पुनः उसी दिन Steno Room, Director Room, AOP's Room, E.E. NREP Room, DPO's Room & Varandah upto Stairs में Flooring का कराये गये कार्य के लिए 42,315.00 (बियालीस हजार तीन सौ पन्द्रह) रूपये की मापी दर्ज की गयी । जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री परवेज द्वारा इसी मापी के आधार पर 4,06,633.00 (चार लाख छः हजार छः सौ तैंतालीस) रूपये भुगतान का पुनः दावा किया गया । श्री परवेज द्वारा 6,11,697.00 + 3,45,381.00 रूपये कुल 9,57,078.00 (नौ लाख संतावन हजार अठहतर) रूपये का कार्य कराने का दावा करते हुए प्रथम विपत्र की राशि 5,50,445.00 (पाँच लाख पचास हजार चार सौ पैंतालीस) रूपये को घटाकर 4,06,633.00 (चार लाख छः हजार छः सौ तैंतीस) रूपये भुगतान हेतु लम्बित रहने का दावा किया जा रहा है ।

ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारी के आदेश की अनदेखी कर बगैर वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरी किये निजी स्वार्थवश अनियमित रूप से कार्यादेश निर्गत किया गया । बिना प्राक्कलन के मापी दर्ज करायी गयी तथा मनमानी भुगतान की कार्रवाई की गयी। उनका यह कृत्य सरकारी पदाधिकारी के लिए निर्धारित आचार संहिता के अनुकूल नहीं है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10291, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 द्वारा श्री गुप्ता से स्प्ष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री गुप्ता के पत्रांक-1777, दिनांक 20 नवम्बर, 2014 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया ।

श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-61 दिनांक 6 जनवरी, 2015 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया तथा मंतव्य अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया । उपायुक्त, धनबाद के पत्रांक-305/गो०, दिनांक 8 मार्च, 2017 द्वारा श्री गुप्ता के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है ।

श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, धनबाद के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-10029, दिनांक 20 सितम्बर, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, से०नि० भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्री झा के पत्रांक-363, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में निम्न तथ्य समर्पित किये गये है:-

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- 1. निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/2011-12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के ज्ञापांक- 869/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 23 मई, 2011 द्वारा उप विकास आयुक्त, धनबाद के स्तर से मिश्रित भवन स्थित अभिकरण कार्यालय से संबंधित कक्षों के सौन्द्रयीकरण एवं पेयजल की व्यवस्था (प्राक्कलित राशि 6,38,434.00) हेतु निविदा आमंत्रित की गई । तत्पश्चात् जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के ज्ञापांक-926/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 31 मई, 2011 के द्वारा दिनांक 24 मई, 2011 के दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर एवं आज में प्रकाशित उपरोक्त निविदा सूचना में अंकित BOQ प्राप्त करने की तिथि में आंशिक संशोधन हेतु एक शुद्धि पत्र निर्गत करते हुए उपरोक्त समाचार पत्र के सम्पादकों को समाचार पत्र में प्रकाषित करने हेतु भेजा गया ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के पत्रांक-964, दिनांक 6 जून, 2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिकरण कार्यालय के सभी कक्षों के सैन्दर्यीकरण एवं पेयजल व्यवस्था से संबंधित निविदा के निष्पादन हेतु दिनांक 6 जून, 2011 के 03:00 बजे अपराह्न में उपस्थित होने हेतु उप विकास आयुक्त, धनबाद के द्वारा क्रय समिति सदस्यों-निदेशक लेखा प्रशासन डी.आर.डी.ए. धनबाद, कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. धनबाद, एवं कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद को सूचित किया गया ।

प्राप्त निविदओं की विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 8 जून, 2011 को निविदादाता श्री सागर प्रसाद (मे० श्रीकृष्णा इंटर प्राईजेज), श्री पुरूषोत्तम झा (मे० राजु कंस्ट्रक्शन) एवं श्री परवेज अहमद खान की उपस्थिति में डी.आर.डी.ए. कार्यालय के सौन्दर्यीकरण हेतु प्राप्त निविदाओं को खोला गया था, जिसमें कुल पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई थी ।

टिप्पणी पृष्ठ की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री परवेज अहमद खान एवं श्री राजु कन्स्ट्रक्शन धनबाद को छोड़कर शेष तीन निविदादाताओं के आयकर रिटर्न के प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं रहने एवं निविदादाता मुन्शी कन्स्ट्रक्शन धनबाद का दर भी अधिक रहने के कारण उनके द्वारा समर्पित निविदाओं को विचार योग्य नहीं पाया गया । यद्यपि देखने से यह टिप्पण पृष्ठ की छायाप्रति जैसी प्रतीत होती है किन्तु सुनवाई के क्रम में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा मूल संचिका दिखाते हुए यह बताया गया कि संबंधित संचिका के टिप्पणी भाग में यह नहीं है । सम्बन्धित संचिका के पत्राचार भाग में उक्त विवरणी उपलब्ध पायी गयी जिस पर 11 जुलाई, 2011 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त, निदेशक लेखा प्रशासन डी.आर.डी.ए. एवं कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, धनबाद का भी हस्ताक्षर है । उक्त विवरणी में राजु कन्स्ट्रक्शन धनबाद की आयकर विवरणी वर्ष 2009-10 एवं परवेज अहमद खान धनबाद की आयकर विवरणी वर्ष 2011-12 तक उपलब्ध दर्शायी गई है । इस विवरणी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्राप्त निविदाओं का अंतिम रूप से निष्पादन नहीं हुआ था । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के पत्रांक-1307/डी.आर.डी.ए., धनबाद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निविदा का अंतिम रूप से निष्पादन करने हेतु दिनांक 26 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तिथि निर्धारित की गयी । उसके बाद संचिका में न तो निविदा समिति की कोई बैठक होने तथा निविदा समिति द्वारा अंतिम रूप से निविदा के निष्पादन करने और न निविदा को निरस्त करने का ही कोई उल्लेख संचिका में पाया गया ।

संबंधित संचिका के टिप्पण पृष्ठ की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभिकरण कार्यालय में निम्न कार्यों की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लेने हेतु दिनांक 6 नवम्बर, 2011 को संचिका उपायुक्त धनबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई-

i. Tiles Flooring बरामदा सहित ।
ii. False celing/lighting
iii. Split AC-6
iv. Nova Pan-Vertical Based partition
v. Colour Wash & Paulishing
vi. Silent Generator.

प्रस्ताव से संबंधित टिप्पणी में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि डी०आर०डी०ए० के कक्षों के सौन्दर्यीकरण तथा पेयजल की व्यवस्था हेतु पूर्व में निविदा आमंत्रित की गई थी तथा निविदा का अंतिम रूप से निष्पादन निविदा समिति द्वारा नहीं हो सका था । फलतः उपायुक्त द्वारा क्रमांक 1, 2 एवं 5 का प्राक्कलन भवन प्रमण्डल से तैयार कराने का आदेश दिया गया । अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यदि उपायुक्त द्वारा आदेशित कार्यवाही थे जिसके लिए प्राप्त निविदा के संबंध में निविदा समिति के सदस्यों के मंतव्य के आधार पर आरोपी के द्वारा निर्णय लेते हुए कार्यादेश निर्गत किया गया तो इस तथ्य का उल्लेख दिनांक 6 नवम्बर, 2011 को उपायुक्त के समक्ष उपस्थापित प्रस्ताव में क्यों नहीं किया गया ? अतः मुझे यह मानने का कोई आधार नहीं

दिखता है कि उपायुक्त के आदेश की अनदेखी कर आरोपी के द्वारा श्री परवेज अहमद खान को उसी कार्य के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया जिन कार्यों के लिए उपायुक्त के द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, धनबाद से प्राक्कलन बनाने का आदेश दिया गया था । अतः आरोपी के इस कथन को कहीं न कहीं बल अवश्य मिलता है कि उनके द्वारा जिन कार्यों के लिये कार्यादेश निर्गत किया गया तथा उपायुक्त के द्वारा जिन कार्यों का प्राक्कलन बनाने का आदेश दिया गया वे दोनों कार्य भिन्न-भिन्न थे । उपायुक्त के समक्ष उपस्थापित प्रस्ताव में पूर्व में प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना, निविदाओं की प्राप्ति तथा निविदाओं को खोलने के पश्चात् निविदा समिति के सदस्यों के द्वारा दिये गये मंतव्य का बिल्कुल जिक्र नहीं करना यह संकेत करता है कि उपायुक्त के समक्ष उपस्थापित प्रस्ताव, अभिकरण कार्यालय में ही बचे हुए अन्य आवश्यक कार्यों के लिए था । वस्तुस्थिति जो भी हो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि आरोपी के द्वारा श्री परवेज अहमद खान को कार्यादेश निर्गत करने में दिखाई गई हड़बड़ी से उनके कार्यकलाप पर प्रश्नचिन्ह अवश्य खड़ा होता है। संबंधित संचिका के टिप्पण पृष्ठ के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 6 जनवरी, 2012 को श्री परवेज अहमद खान के आवेदन के आलोक में आरोपी के समक्ष संचिका उपस्थापित की गयी जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अभिकरण कार्यालय से संबंधित कार्यालय कक्षों के सौन्दर्यीकरण एवं पेयजल की व्यवस्था (प्राक्कलित राशि 6,38,434.00 रूपये) हेतु कार्यालय के ज्ञापांक-869 दिनांक 23 मई, 2011 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी थी जिसमें कुल पाँच निविदाएँ प्राप्त हुई थी । उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा विवरणी तैयार की गई किन्तु निविदा का निष्पादन नहीं होने के कारण इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेना चाहेगें । उक्त प्रस्ताव पर आरोपी के द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2012 को 'विमर्श करे' अंकित किया गया । तत्पश्चात् पुनः दिनांक 10 जनवरी, 2012 को विमर्शित तथ्यों का कोई उल्लेख किये बगैर निम्न आदेश संचिका में दिया गया-

''दिनांक 8 जून, 2011 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय के पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष एवं विभिन्न कार्यालयों के सुदृढ़िकरण हेतु प्राप्त निविदा को निविदा समिति के समक्ष खोला गया तथा उसका कम्प्रेटिव चार्ट तैयार किया गया जिस पर निविदा समिति द्वारा निम्न प्रकार से मंतव्य दिया गया है-

1. All the four tenders are local
2. Sl. No. 4 is drop due rate
3. Two valid tenderer Sl. No.-2 and Sl. No.-5

. Boath are local and rate is same

क्रमांक 3 पर दो निविदादाता क्रम संख्या 2 परवेज अहमद खान एवं क्रम संख्या 5 राजू कन्सट्रक्शन, धनबाद दोनों लोकल है तथा दोनों का रेट एक ही है । निविदा समिति द्वारा राजू कन्स्ट्रक्शन को वरीय मानते हुए टेण्डर अवार्ड करने की अनुषंसा की गई है । कम्प्रेटिव चार्ट को देखने से स्पष्ट होता है कि क्रम संख्या-2 के निविदादाता परवेज अहमद खान के टेंडर पेपर में

उनका आयकर रिटर्न 2011-12 तक संलग्न किया गया है, जो अद्यतन है जबकि राजू कन्सट्रक्षन का आयकर रिटर्न 2009-10 तक का ही संलग्न किया गया है जो अद्यतन नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि इन निविदा के लिये जो शर्त निर्धारित की थी उसकी कंडिका 3 के अनुसार राजू कन्सट्रक्शन के द्वारा अद्यतन आयकर रिटर्न पेपर जमा नहीं किया गया है । अतः क्रम संख्या 2 परवेज अहमद खान को अभिकरण कार्यालय से संबंधित कार्यालय कक्षों का सौन्द्रयीकरण एवं पेयजल की व्यवस्था का टेंडर अवार्ड किया जाता है ।''

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आरोपी के द्वारा जिन उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर श्री परवेज अहमद खान को टेडर अवार्ड किया गया वे तथ्य तो जब दिनांक 6 जनवरी, 2012 को संचिका उनके समक्ष उपस्थापित की गयी तब भी मौजूद थे । अतः उनके द्वारा ''विमर्श करे'' अंकित करना तथा पुनः दिनांक 10 जनवरी, 2012 को विमर्शित तथ्यों का उल्लेख किये वगैर श्री परवेज अहमद खान को टेंडर अवार्ड करने का निर्णय लेना कहीं न कहीं आरोपी की कार्य प्रणाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है । उप विकास आयुक्त (आरोपी) निविदा समिति के अध्यक्ष अवश्य थे, किन्तु निविदा का निष्पादन समिति के द्वारा होना था न कि सिर्फ अध्यक्ष के द्वारा । आरोपी के कार्यकाल में न तो निविदा आमंत्रित की गयी थी, न तो निविदा समिति की कोई बैठक हुई थी और न तत्कालीन उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के द्वारा अंतिम रूप से निविदा निष्पादित की गयी थी ऐसी स्थिति में निविदा प्राप्त होने के लगभग छः माह के बाद आरोपी के द्वारा निविदा का निष्पादन कर श्री खान को कार्यादेश निर्गत करना समुचित नहीं प्रतीत होता है । सुनवाई के क्रम में आरोपी के द्वारा बताया गया कि कार्य कराना अत्यावश्यक था इसलिये उनके द्वारा कार्यादेश निर्गत कर दिया गया । यह सच है कि राजू कन्सट्रक्शन की आयकर विवरणी वर्ष 2009-10 तक की ही थी जबकि श्री परवेज अहमद खान आयकर रिटर्न वर्ष 2011-12 तक का दिया गया था । दोनों के द्वारा दर भी समान ही दिये गये थे । अतः श्री खान को कार्य आवंटित कर देने से सरकार को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई ।

अतः उपायुक्त के आदेश की अवहेलना करने का आरोप सही नहीं प्रतीत होता है, किन्तु आरोपी के द्वारा जिस प्रकार से निविदा का निष्पादन करते हुए श्री खान को कार्यादेश निर्गत किया गया वह सर्वथा अवांछनीय प्रतीत होता है ।

2. आरोपी का कहना है कि उनके पत्रांक 243 दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल को जिन कार्यों के लिए प्राक्कलन बनाने हेतु लिखा गया था वे कार्य उन कार्यों से भिन्न थे जिसके लिए श्री परवेज अहमद खान को कार्यादेश निर्गत किया गया था ।

इस संबंध में उपर्युक्त कंडिका में स्पष्ट किया जा चुका है कि संबंधित संचिका के टिप्पण पृष्ठ के क्रमांक 1, 2 एवं 5 पर अंकित कार्य यदि वहीं थे जिनके लिए समाचार पत्र के माध्यम से निविदा प्राप्त कर निविदा की विवरणी तैयार कर ली गई तो इस तथ्य का थोड़ा भी उल्लेख इस प्रस्ताव में अवश्य रहता । ऐसा नहीं होने के कारण इस सम्भावना को अधिक बल मिलता है कि जिन कार्यों के लिए प्रस्ताव दिनांक 6 नवम्बर, 2011 को उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये वे कार्य बिल्कुल नये थे तथा उनके संबंध में कोई भी कार्रवाई पूर्व में नहीं हुई थी । अतः

आरोपी के द्वारा जिन कार्यों के लिए कार्यादेश निर्गत किया गया उन्हीं कार्यों के लिए पुनः उनके पत्रांक 243, दिनांक 6 फरवरी, 2012 द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल, धनबाद को प्राक्कलन तैयार करने का आदेश दिया गया ऐसा मानना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है ।

आरोप-पत्र में आरोपी के विरूद्ध ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जिससे यह प्रतीत हो कि आरोपी के द्वारा श्री परवेज अहमद खान को कराये गये कार्यों से अधिक राशि का भुगतान कर दिया गया हो । सुनवाई के क्रम में भी प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया । आरोपी के द्वारा कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. द्वारा मापी पुस्त में अंकित मापी के आधार पर तथा लेखा पदाधिकारी तथा वरीय लेखा पदाधिकारी के द्वारा विपत्र पारित करने के पश्चात् विपत्र पारित किया गया है । जब संबंधित मद की राशि जिला परिषद के पी.एल. एकाउन्ट में रखी गई थी तो यदि आरोपी के द्वारा संवेदक को जिला परिषद के स्तर से ही भुगतान कर दिया गया तो इसमें कोई खास वित्तीय अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की राशि को जिला परिषद के पी.एल. खाते में रखना ही अनुचित था । यदि पी.एल. खाते में राशि रख दी गई तो उस राशि की निकासी कार्य विपत्र के विरूद्ध ही की जा सकती थी । ऐसी स्थिति में संवेदक को जिला परिषद के स्तर से राशि भुगतान करने की बाध्यता थी । ज्ञातव्य है कि संबंधित मद में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद को कुल 20,00,000.00 प्राप्त हुए थे, जिससे पूर्व में भी राशि की निकासी इसी तरह की गयी थी । अतः आरोपी के विरूद्ध उपर्युक्त क्रमांक 2 पर वर्णित आरोप सही नहीं प्रतीत होता है ।

3. प्रस्तुत साक्ष्यों से यह कहीं भी स्पष्ट नहीं होता है कि मापीपुस्त में कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. धनबाद द्वारा Steno's Room, Director's Room, APO's Room, Executive Engineer NREP Room, DPO's Room & Varanda (Corridoor) upto Stairs में Renovation कार्य के लिये श्री खान को आरोपी के द्वारा कोई कार्यादेश निर्गत किया गया या प्रशासनिक स्वीकृति आरोपी के स्तर से प्रदान की गई अथवा मापी पुस्त में तथाकथित उपरोक्त कार्यों की मापी अंकित करने हेतु अभियंताओं को कोई आदेश आरोपी के स्तर से दिया गया । ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी के द्वारा श्री खान को पूर्व में निर्गत कार्यादेश में कार्य की प्राक्कलित राशि तथा कार्य की विस्तृत विवरणी अंकित नहीं करने का नजायज लाभ लेने की नीयत से संवेदक के द्वारा अभियंताओ के मिलीभगत से पूर्व में आदेशित कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त फर्जी कार्य की मापी, मापीपुस्त में दर्ज कराकर भुगतान लेने का प्रयास किया गया । चूँकि भुगतान करने के लिए राशि ही उपलब्ध नहीं थी, इसलिये भुगतान संभव नहीं हो सका । यह ठीक है कि आरोपी के द्वारा इस संबंध में संवेदक को कोई कार्यादेश अथवा अभियंताओं को मापी दर्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था, किन्तु आरोपी के समक्ष उन कार्यों के भुगतान के संबंध में दिनांक 8 दिसम्बर, 2012 को जब संचिका उपस्थापित की गयी तो उन्हें संवेदक एवं अभियंताओं के विरूद्ध मापी पुस्त में फर्जी मापी अंकित कराकर भुगतान लेने के प्रयास करने के कारण कठोर कार्रवाई करनी चाहिये थी । लेकिन आरोपी के द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर पुनः आवंटन हेतु सरकार को पत्र भेजने का आदेश दिया गया । संयोगवश आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण संवेदक को राशि का भुगतान नहीं हो सका तथा आरोपी फर्जी भुगतान के आरोप से बच गये । यदि आवंटन उपलब्ध रहता तो आरोपी के द्वारा संवेदक एवं अभियंताओं के प्रति जैसी सौहार्दता का प्रदर्शन किया गया उसे देखते हुए यह असम्भव नहीं प्रतीत होता है कि आवंटन उपलब्ध रहने पर आरोपी के द्वारा निश्चित रूप

से उन फर्जी कार्यों का भी भुगतान कर दिया जाता । सुनवाई के दौरान प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि संवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में भी 9,57,078.00 रूपये का कार्य कराने का दावा करते हुए भुगतान प्राप्त की गयी राशि 5,50,445.00 रूपये को घटाकर शेष 4,06,633.00 रूपये के भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय में भी केस दायर किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिर्फ 6,11,697.00 रूपये के कार्य की मान्यता देते हुए पूर्व में भुगतान की गयी राशि 5,50,445.00 रूपये को घटाने के पश्चात् शेष 61,252.00 भुगतान करने का आदेश दिया गया जिसका भुगतान जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद द्वारा संवेदक को कर भी दिया गया । अतः कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता एन.आर.ई.पी. के द्वारा फर्जी कार्य की मापी, मापीपुस्त में दर्ज करने के लिये आरोपी प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं प्रतीत होते है, किन्तु उनके द्वारा दोषी संवेदक एवं अभियंताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सरकार को आवंटन के लिये लिखने के लिये आदेश देना कदापि वांछनीय नहीं प्रतीत होता है । आरोपी के द्वारा प्रस्तुत पूरक बचाव बयान में कहा गया है कि वे एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हैं । उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे Grivous Misconduct माना जाय और न ही सरकारी कोष को कोई क्षति ही पहुँचाई गई है । पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) में प्रावधानित है कि घोर कदाचार जिसके कारण राज्य की क्षवि धूमिल हुई हो या वित्तीय क्षति हुई हो उन्ही मामलों में सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है । चूँकि आरोपी के विरूद्ध घोर कदाचार या सरकारी राजस्व की क्षति का कोई आरोप नहीं है, अतः आरोपी के निवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है ।

श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप, उनके बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त श्री गुप्ता को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सूर्य प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 677 -- 50